क्रम संख्या–03

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 03 जनवरी, 2013 ई0

पौष 13, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 07/XXXVI(3)/2013/72(1)/2012

देहरादून, 03 जनवरी, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012** पर दिनांक 01 जनवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 02 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2013}

{भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित}

पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2011) में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

शीर्षक सहित "पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय" के स्थान पर "श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय" का पढ़ा जाना

2. पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2011), में शीर्षक सहित जहाँ–जहाँ शब्द "पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय" आये हैं, वहाँ–वहाँ वह शब्द "श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय" रख दिये जायेंगे।

व्यावृत्ति

3. ऐसे संशोधनों के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

निरसन एवं अपवाद

4. (1) पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।